

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 612 सन 2019

अनवान :-

1. बनवारी पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनफुल उर्फ फुलाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हसराज पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बलराम पुत्र हसराज जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जयलाल पुत्र हसराज जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. दोलतराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुल्तान पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सावित्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 378/240 की कुल 20.2720 हेक्ता खाता संख्या 299/236 की कुल 0.860 हेक्ता भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के नाम से पूर्व में दर्ज थी वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमा के देहान्त होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के

उपरोक्त अधिकारी है।
नोहर

वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामुराम पुत्र भोमा ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का पिता/दादा है के नाम से करवाई गई थी रामुराम पुत्र भोमाराम के देहान्त होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात् पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/भतिजो /पिता के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 378/240 की कुल 20.2720 हैक् खाता संख्या 299/236 की कुल 0.860 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के नाम से पूर्व में दर्ज थी वादी के दादा ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गई भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के देहान्त होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा पुरखाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी तथा वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमा के देहान्त होने के बाद वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या

उपरोक्त आदेशों के साथ बराबर का हक हिस्सा है
बोहर

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा एवं जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है तथा सयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पति में सयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का हक हिस्सा होगा इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 378/240 की कुल 20.2720 है व खाता संख्या 299/236 की कुल 0.860 है व भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी भू0प्रबन्ध विभाग के अनुसार रोही मौजा कानसर की भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा रामुराम पुत्र भोमा ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी वादी के दादा के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में होगी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8


उपसंयुक्त अधिकारी
नोहर

ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 378/340 की 20.2720हैक भूमि एवं खाता संख्या 299/236 की 0.8600हैक दोनो खातो की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा देवासर की 2.4880हैक भूमिमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बनवारी पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनफुल उर्फ फुलाराम पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हसराज पुत्र रामुराम जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बलराम पुत्र हसराज जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. जयलाल पुत्र हसराज जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. दोलतराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सुल्तान पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. सावित्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 612 सन 2019 निर्णय दिनांक- 31/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य संबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 378/340 की 20.2720 हैक् भूमि एवं खाता संख्या 299/236 की 0.8600 हैक् दोनो खातो की भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा देवासर की 2.4880 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेग

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)